न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 93/2022

सुषमा श्रीवास्तव पत्नि आर0पी0 श्रीवास्तव जाति कायस्थ नि0 क्वींस रोड, जयपुर

प्रार्थीया

बनाम

1. चौथीदेवी पत्नि गोमा राम जाति मीणा, नि0 तहसील झोटवाडा, जयपुर
2. नानगा पुत्र सेवा जाति कुम्हार नि0 करणसर (फौत)
   2/1 रामेश्वर पुत्र नानगा
   2/2 गोपाल पुत्र नानगा
   2/3 मोहन पुत्र नानगा
   2/4 मूलचन्द पुत्र नानगा
   2/5 जगदीश पुत्र नानगा
   समस्त जाति कुम्हार नि0 करणसर तह0 जोबनेर
3. मनोज पुत्र गोपीराम
4. राजेन्द्र पुत्र गोपीराम
   समस्त जाति बलाई नि0 करणसर तह0 जोबनेर
5. गोपाल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण नि0 आमेर, जयपुर
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री मुकेश कुमार अजमेरा अधिवक्ता प्रार्थीया

दिनांक :– 21/02/2024

निर्णय

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 321/1, 319/2, 322/3 तथा 287 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम करणसर तह0 जोबनेर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया की आराजी के नजदीक अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

आराजी खसरा नम्बर 319/1, 322/1, 317/1, 322/2, 323/1, 323/5, 290, 323/2 तथा 281 स्थित है। आराजी की सीमा संबंधित अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 08.01.2018 को आराजी का सीमा ज्ञान भी कराया गया था। प्रार्थीया मुताबिक सीमा ज्ञान रिपोर्ट अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाकर तारबंदी करवाना चाहती है। जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हों। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 10.01.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने पर भी जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी एवं अन्य आराजी का एक वाद संख्या 24/2008 उनवान नानगा बनाम नारायण विचाराधीन है। जिसकी पुनरीक्षण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में किया हुआ है। उक्त वाद में विभाजन एवं कब्जे का निर्णय होने के पश्चात ही सीमाएं तय होगी। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार, जोबनेर ने दिनांक 13.02.2024 को जवाब इस आशय का पेश किया है कि कि आराजी खसरा नम्बर 321/1, 319/2, 322/3 तथा 287 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम करणसर तह0 जोबनेर में स्थित है। उक्त आराजी प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया की आराजी के नजदीक अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी खसरा नम्बर 319/1, 322/1, 317/1, 322/2, 323/1, 323/5, 290, 323/2 तथा 281 स्थित है। उपरोक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 08.01.2018 को किया जा चुका है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीया एवं अन्य खातेदारों का कब्जा है।

बहस एक पक्षीय वकील प्रार्थीया सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 321/1, 319/2, 322/3 तथा 287 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा वाकै ग्राम करणसर, तह0 जोबनेर में स्थित है। उक्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

प्रार्थीया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीया की आराजी के नजदीक अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी खसरा नम्बर 319/1, 322/1, 317/1, 322/2, 323/1, 323/5, 290, 323/2 तथा 281 स्थित है। आराजी की सीमा संबंधित अनावश्यक विवाद उत्पन्न होता है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 08.01.2018 को आराजी का सीमा ज्ञान भी कराया गया था। जिसमे मौके पर उपस्थित खातेदारों को निशानात बताए गये थे। प्रार्थीया मुताबिक सीमा ज्ञान रिपोर्ट अपनी आराजी की पत्थरगढी करवाकर तारबंदी करवाना चाहती है। जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हों।

जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 की आपत्ति का प्रश्न है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी एवं अन्य आराजी का एक वाद संख्या 24/2008 उनवान नानगा बनाम नारायण विचाराधीन है। जिसकी पुनरीक्षण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में किया हुआ है। उक्त वाद में विभाजन एवं कब्जे का निर्णय होने के पश्चात ही सीमाएं तय होगी। परन्तु इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त वाद की वर्तमान स्थिति से आज तक अवगत नहीं कराया है। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय रोके जाने से संबंधी किसी वरिष्ठ न्यायालय का कोई भी आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 319/2, 322/3 तथा 321/1 में अप्रार्थी खातेदार के रूप में दर्ज नहीं है। इसलिए विभाजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 केवल आराजी खसरा संख्या 287 में सहखातेदार है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। यहां यह तथ्य भी गौर करने योग्य है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा संख्या 321/1 की किस्म गै.मु. आबादी है। जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। परन्तु शेष भूमि पर प्रार्थीया पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट है। जिसका निस्तारण Summary Trial के रूप में किया जाना होता है। प्रकरण में 6 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो चुका है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है। इसलिए व्यापक न्यायहित मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 319/2, 322/3 वाकै ग्राम करणसर की राजस्व नक्शा अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, जोबनेर को आदेशित किया जाता है कि वो राज्य

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

सरकार के विभागीय नियमों के अनुसार पत्थरगढी शुल्क संबंधित मद में जमा करा कर एवं संबंधित पक्षकारों को सूचित कर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी किया जाना सुनिश्चित करें। भू–अभिलेख निरीक्षक करणसर को इस हेतु कमिशनर नियुक्त कर पाबंद किया जाता है कि पत्थरगढी के दौरान प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर पडौसी खातेदारों का कब्जा होने की स्थिति में कब्जा सुपुर्दगी करने की कोई कार्यवाही ना करें। प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का कब्जा पाया जाने पर ऐसी स्थिति में प्रार्थीया भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार, जोबनेर को इस आशय की तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट ★ जोबनेर, जिला–जयपुर ★

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर